

प्रारंभिक परीक्षा

भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र के एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया
संदर्भ

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अवसर पर, भारत ने डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (ODET) की पहल के तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-मद्रास (IIT-M) को एआई उत्कृष्टता केंद्र (CoE) के रूप में नामित किया।

ODET के बारे में -

- 1 जनवरी 2025 को स्थापित, प्रौद्योगिकी पर महासचिव के दूत (the Secretary-General's Envoy on Technology) के पूर्ववर्ती कार्यालय से परिवर्तित।
- 24 दिसंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक प्रस्ताव और भविष्य शिखर सम्मेलन (2024) में ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (GDC) को अपनाने के बाद बनाया गया।
- अमरीक सिंह गिल, अवर-महासचिव और डिजिटल एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए विशेष दूत, इसके प्रमुख हैं।
- कार्य:
 - डिजिटल सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य करना।
 - प्रौद्योगिकी प्रवृत्तियों, जोखिमों और अवसरों पर संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व को रणनीतिक सलाह और दूरदृष्टि प्रदान करना।
 - डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर पूरे संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के प्रयासों का समन्वय करना।
 - बहु-हितधारक और समावेशी नीतिगत संवाद को सुगम बनाना।
 - ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट (GDC) के अनुपालन और कार्यान्वयन का समर्थन करना।

स्रोत: [बिजनेसलाइन](#)

डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क (DBNet)

संदर्भ

राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF) न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) के सहयोग से "मिशन मौसम" के तहत दिल्ली/एनसीआर और चेन्नई में DBNet स्टेशन स्थापित कर रहा है।

डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट नेटवर्क (DBNet) क्या है?

- यह पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) के उपग्रहों से उपग्रह डेटा के वास्तविक समय में अधिग्रहण के लिए एक वैश्विक परिचालन ढांचा है।
- केंद्रीय ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा रिले होने की प्रतीक्षा करने के बजाय (जिससे देरी होती है), DBNet ओवरहेड पास के दौरान सीधे उपग्रह संकेतों को पकड़ता है, जिससे लगभग वास्तविक समय पर पहुंच सुनिश्चित होती है।
- प्रमुख विशेषताएँ:
 - वास्तविक समय में डेटा अधिग्रहण: प्रसारण के कुछ ही मिनटों के भीतर उपग्रहों से सीधे डेटा प्राप्त करता है।
 - कम विलंबता: केंद्रीय रिले स्टेशनों को दरकिनार करके पारंपरिक प्रणालियों में देरी पर काबू पाया जाता है।
 - तीव्र प्रसंस्करण: डेटा को ~5 मिनट के भीतर संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (NWP) मॉडल में डाला जा सकता है।
 - मापनीयता: वर्तमान (जैसे, ओशनसेट, NOAA, MetOp) और पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों की भावी पीढ़ियों से डेटा को एकीकृत कर सकता है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की वैश्विक उपग्रह डेटा नीति के अंतर्गत संचालित होता है।
- वैश्विक DBNet कवरेज को मजबूत करने के लिए डेटा को WMO सूचना प्रणाली - 2.0 (WIS 2.0) के माध्यम से साझा किया जाता है।

मिशन मौसम - IMD की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर शुरू किया गया -

- यह भारत की मौसम अवलोकन और पूर्वानुमान क्षमताओं के विस्तार पर केंद्रित एक सरकारी पहल है।
- ज़रूरी भाग:
 - नये उपकरणों के साथ मौसम अवलोकन नेटवर्क का विस्तार करना।
 - मशीन-लर्निंग दृष्टिकोणों के एकीकरण के माध्यम से मौसम पूर्वानुमान मॉडल में सुधार करना।
 - मौसम संशोधन तकनीकों की जांच करना।
- कार्यान्वयन एजेंसियाँ: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCMRWF), और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM)।

स्रोत: [पीआईबी](#)

टाइलेनॉल(Tylenol)

संदर्भ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया कि गर्भवती महिलाओं द्वारा टाइलेनॉल (एसिटामिनोफेन या पैरासिटामोल) का उपयोग बच्चों में ऑटिज्म से जुड़ा है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने जवाब दिया कि इस तरह के दावे के लिए सबूत असंगत और अप्रमाणित हैं।

टाइलेनॉल क्या है?

- यह पैरासिटामोल (एसिटामिनोफेन) का ब्रांड नाम है।
- इसका व्यापक रूप से दर्द निवारक और बुखार कम करने वाली दवा के रूप में उपयोग किया जाता है।
- जब इसे चिकित्सीय देखरेख में और अनुशंसित खुराक में लिया जाता है तो इसे गर्भावस्था के दौरान सुरक्षित माना जाता है।

क्या गर्भावस्था में टाइलेनॉल के उपयोग और ऑटिज्म के बीच कोई संबंध है?

- **वैज्ञानिक सहमति:** गर्भावस्था में पैरासिटामोल के उपयोग को ऑटिज्म से जोड़ने वाला कोई निर्णायक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।
 - ऑटिज्म एक जटिल न्यूरोडेवलपमेंटल स्थिति है जो आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, जो किसी एक दवा के कारण नहीं होती है।
- **शोध निष्कर्ष:** कुछ अवलोकन संबंधी अध्ययनों से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान पैरासिटामोल का उपयोग करने वाली माताओं के बच्चों में ऑटिज्म या एडीएचडी के जोखिम में मामूली वृद्धि हुई है।
 - हालाँकि, भाई-बहनों द्वारा नियंत्रित अध्ययनों (जो अधिक विश्वसनीय थे) में ऐसा कोई संबंध नहीं दिखा, जिसका अर्थ है कि अन्य कारक जिम्मेदार थे।
- **अध्ययन की सीमाएं:** कई अध्ययनों में साझा परिवार, जीवनशैली या पर्यावरणीय कारकों को ध्यान में नहीं रखा गया।
 - मुख्य कमियों में यह समझ का अभाव शामिल है कि ऑटिज्म के विकास में जीन और पर्यावरण किस प्रकार परस्पर क्रिया करते हैं।

संबंधित शब्द -

लुकोवोरिन(Leucovorin):

- यह फोलिक एसिड (विटामिन B9) का एक रूप है, जिसे फोलिनिक एसिड भी कहा जाता है।
- यह फोलिक एसिड का सक्रिय मेटाबोलाइट है, जिसका अर्थ है कि शरीर इसे रूपांतरण की आवश्यकता के बिना सीधे उपयोग कर सकता है।
- एक-कार्बन स्थानांतरण प्रतिक्रियाओं में मदद करके डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- **उपयोग:**
 - कैंसर चिकित्सा
 - कीमोथेरेपी एन्हांसर

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

वन पर पर्यावरणीय लेखांकन-2025

संदर्भ

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने अपने पर्यावरण लेखा प्रकाशन का 8वां संस्करण जारी किया, जिसका शीर्षक है “वन पर पर्यावरण लेखांकन - 2025”

कुछ मुख्य अंश -

- **वन आवरण (2010-11 से 2021-22):** 17,444.61 वर्ग किमी (22.5%) की वृद्धि हुई, जो 7.15 लाख वर्ग किमी (भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76%) तक पहुंच गया।
 - वृद्धि में प्रमुख योगदानकर्ता: केरल (+4,137 वर्ग किमी), कर्नाटक (+3,122 वर्ग किमी), तमिलनाडु (+2,606 वर्ग किमी)
- **अभिलिखित वन क्षेत्र (RFA):** 3,356 वर्ग किमी की शुद्ध वृद्धि
 - सीमा पुनर्वर्गीकरण और समायोजन के कारण बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
 - RFA हिस्सेदारी में सर्वाधिक वृद्धि वाले राज्य: उत्तराखंड (+6.3%), ओडिशा (+1.97%), झारखंड (+1.9%)।
- **बढ़ते स्टॉक (जीवित पेड़ों में उपयोगी लकड़ी की मात्रा):** 2013-2023 के दौरान 305.53 मिलियन क्यूबिक मीटर (7.32%) की वृद्धि हुई।
 - शीर्ष योगदानकर्ता: मध्य प्रदेश (136 मिलियन क्यूबिक मीटर), छत्तीसगढ़ (51 मिलियन क्यूबिक मीटर), और तेलंगाना (28 मिलियन क्यूबिक मीटर); संघ शासित प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (77 मिलियन क्यूबिक मीटर)।
- **सेवा खाते:**
 - **प्रावधान सेवाएँ (लकड़ी और गैर-लकड़ी उत्पाद):** 2021-22 में मूल्य बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का ~0.16% हो गया।
 - शीर्ष राज्य: महाराष्ट्र, गुजरात, केरल।
 - **विनियमन सेवाएँ (कार्बन प्रतिधारण):** 2021-22 में मूल्य बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का ~2.63% हो गया।
 - शीर्ष राज्य: अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम।

संबंधित तथ्य -

- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने 2018 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखा प्रणाली (SEEA) फ्रेमवर्क को अपनाया, जो तब से पर्यावरण आर्थिक खातों के संकलन के लिए एक स्वीकृत अंतराष्ट्रीय फ्रेमवर्क है।
- SEEA फ्रेमवर्क को संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा 2012 में विकसित किया गया था।

स्रोत: [पीआईबी](#)

भारत में बच्चे 2025

संदर्भ

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट का चौथा अंक जारी किया।

भारत में बच्चे 2025 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं -

- **शिशु मृत्यु दर (IMR):** 44 (2011) से घटकर 25 (2023) हो गई।
 - IMR = प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु।
- **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U5MR):** 30 (2022) से घटकर 29 (2023) हो गई।
 - U5MR = प्रति 1,000 जीवित जन्मों में पांच वर्ष की आयु से पहले मरने की संभावना।
- **जन्म दर (2023):** राष्ट्रीय: प्रति 1,000 जनसंख्या पर 18.4।
 - ग्रामीण: 20.3, शहरी: 14.9
- **स्कूल छोड़ने की दरें (2022-23 → 2024-25):**
 - प्रारंभिक स्तर: 8.7% → 2.3%
 - मध्य स्तर: 8.1% → 3.5%
 - माध्यमिक स्तर: 13.8% → 8.2%
- **बाल विवाह (20-24 वर्ष की महिलाएं जो 18 वर्ष से पहले विवाहित हुईं):** 26.8% (2015-16) से घटकर 23.3% (2019-21) हुआ।
- **दत्तक ग्रहण प्रवृत्तियाँ:**
 - कुल दत्तक ग्रहण: 3,927 (2017-18) → 4,515 (2024-25)
 - देश के भीतर दत्तक ग्रहण: 4,155
 - अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण: वार्षिक 360-653
- **लिंग समानता सूचकांक (GPI):** सभी शिक्षा चरणों में समानता प्राप्त की गई (2024-25)।

स्रोत: [पीआईबी](#)

जल सुरक्षा पर राष्ट्रीय पहल

संदर्भ

भारत सरकार ने जल सुरक्षा के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की।

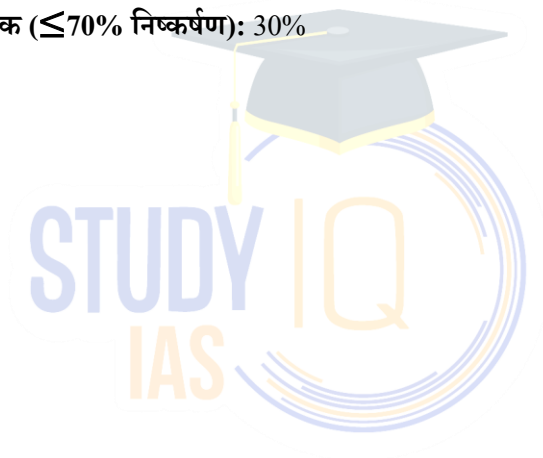
समाचार के बारे में और अधिक जानकारी -

- सरकार ने मनरेगा, 2005 की अनुसूची I के अंतर्गत धारा-29(1) में संशोधन करके मनरेगा के अंतर्गत जल सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

पहल के बारे में -

- मनरेगा के अंतर्गत बजट: ₹88,000 करोड़।
- उद्देश्य: भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देना, नदियों को पुनर्जीवित करना, स्थायी जल प्रबंधन सुनिश्चित करना।
- केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) द्वारा वर्गीकृत ब्लॉक (गतिशील भूजल संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट 2024)।
- मनरेगा के अंतर्गत निधि आवंटन:
 - महत्वपूर्ण ब्लॉक (90-100% निष्कर्षण): 65%
 - अर्ध-महत्वपूर्ण ब्लॉक (70-90% निष्कर्षण): 40%
 - सुरक्षित ब्लॉक ($\leq 70\%$ निष्कर्षण): 30%

स्रोत: [पीआईबी](#)



वित्तीय खुफिया इकाई-भारत(FIU-IND)

संदर्भ

दूरसंचार विभाग (DoT) और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने साइबर अपराधों और वित्तीय धोखाधड़ी में दूरसंचार संसाधनों के दुरुपयोग के खिलाफ सूचना साझाकरण और समन्वय बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

साझेदारी की मुख्य विशेषताएं -

- **उन्नत डेटा साझाकरण:** मोबाइल नंबरों पर वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (FRI) डेटा का वास्तविक समय पर साझाकरण।
 - दूरसंचार विभाग मोबाइल नंबर निरस्तीकरण सूची (MNRL) को FIU-IND के साथ साझा करेगा।
 - FIU-IND संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (STR) से जुड़े मोबाइल नंबर साझा करेगा।
 - दूरसंचार विभाग के डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (DIP) और FIU के Finnex 2.0 पोर्टल के माध्यम से सुरक्षित विनिमय।
- **दूरसंचार-वित्तीय साइबर सुरक्षा को मजबूत करना:** धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए दूरसंचार खुफिया + वित्तीय खुफिया को संयोजित करना।
 - प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई के बजाय सक्रिय धोखाधड़ी रोकथाम को सक्षम बनाता है।
 - साझा FRI डेटा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं को लेनदेन के दौरान जोखिमपूर्ण मोबाइल नंबरों को चिह्नित करने में मदद करता है।
- **अब तक का प्रभाव:** संचार साथी के तहत 2.84 करोड़ फर्जी मोबाइल कनेक्शन काटे गए।
 - FRI ने बैंकों को 48 लाख लेनदेन रोकने/अस्वीकार करने में मदद की, जिससे ₹140 करोड़ की बचत हुई।
 - DIP प्लेटफॉर्म पहले से ही 700+ हितधारकों को जोड़ता है (36 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस, SEBI, NPCI, FIU-IND, 650 बैंक/वित्तीय संस्थान)।

FIU-IND के बारे में -

- **स्थापना:** 18 नवंबर 2004
- **प्रमुख:** निदेशक, FIU-IND (अपर सचिव, भारत सरकार के समकक्ष पद)।
- **मूल निकाय:** वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग।
- यह एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है जो वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक खुफिया परिषद (EIC) को सीधे रिपोर्ट करता है।
- यह धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 से शक्ति प्राप्त करता है।
- **कार्य:**
 - धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग), आतंकवाद के वित्तपोषण, साइबर धोखाधड़ी के पैटर्न, नेटवर्क और लिंक का पता लगाने के लिए उन्नत विश्लेषण का उपयोग करता है।
 - आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए, कानून प्रवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय निकायों जैसे नियामकों के साथ काम करता है।
 - FATF(वित्तीय कार्रवाई कार्य बल) के तहत भारत के दायित्वों का समर्थन करता है।

स्रोत: [पीआईबी](#)

नाइटमेयर बैक्टीरिया(Nightmare Bacteria)

संदर्भ

यूएस सीडीसी (रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र) ने बताया कि दवा प्रतिरोधी "नाइटमेयर बैक्टीरिया" संक्रमण 2019 और 2023 के बीच लगभग 70% बढ़ गया।

"नाइटमेयर बैक्टीरिया" क्या हैं?

- यह शब्द यूएस सीडीसी द्वारा बहु-औषधि प्रतिरोधी बैक्टीरिया के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिनका उपचार करना अत्यंत कठिन होता है।
- अक्सर कार्बापेनम-प्रतिरोधी एंटरोबैक्टीरियासी (CRE) को संदर्भित करता है जैसे:
 - क्लेब्सिएला न्यूमोनिया (Klebsiella pneumoniae)
 - एशेरिशिया कोलाई (Escherichia coli – E. coli)
 - वे बैक्टीरिया जो NDM जीन (New Delhi Metallo-beta-lactamase) वहन करते हैं → जो इन्हें कार्बापेनम एंटीबायोटिक्स (अंतिम विकल्प की दवाएं) के प्रति प्रतिरोधी बना देता है।

संबंधित तथ्य -

- WHO ने AMR (एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस) को शीर्ष 10 वैश्विक स्वास्थ्य खतरों में सूचीबद्ध किया है।
- गंभीर CRE संक्रमणों में मृत्यु दर 40-50% तक पहुँच सकती है।

वस्तु और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

संदर्भ

केंद्रीय वित्त मंत्री ने औपचारिक रूप से GSTAT का शुभारंभ किया।

GSTAT के बारे में

- CGST अधिनियम, 2017 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय।
- अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना।
- एक विशेष, स्वतंत्र मंच प्रदान करता है → जीएसटी कानूनों की विश्वसनीयता, सुव्यवस्था और पूर्वानुमानशीलता में सुधार करता है।
- उद्देश्य:
 - एक एकल, एकीकृत अपीलीय मंच ("एक राष्ट्र, एक मंच") बनाना।
 - विवादों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना → बेहतर नकदी प्रवाह और व्यावसायिक निश्चितता।
 - सरलीकृत प्रारूपों, सरल भाषा में निर्णयों, जाँच सूचियों और वर्चुअल सुनवाई के साथ नागरिक-केंद्रित शासन प्रदान करना।
 - अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों और "नागरिक देवो भव" के सिद्धांत के अनुरूप।
- संरचना:
 - प्रधान पीठ: नई दिल्ली।
 - राष्ट्रव्यापी पहुंच के लिए 45 स्थानों पर 31 राज्य बेंचें।
 - बेंच संरचना:
 - 2 न्यायिक सदस्य
 - 1 केंद्रीय तकनीकी सदस्य
 - 1 राज्य तकनीकी सदस्य
- कार्य:
 - तीन S दृष्टिकोण:
 - संरचना(Structure): न्यायिक + तकनीकी विशेषज्ञता।
 - पैमाना(Scale): एकाधिक राज्य पीठें; साधारण मामलों के लिए एकल सदस्यीय पीठें।
 - तालमेल(Synergy): प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया और मानव विशेषज्ञता का एकीकरण।
 - ✓ ई-कोर्ट पोर्टल: ऑनलाइन फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई।

स्रोत: [पीआईबी](#)

समाचार में स्थान

वेनेजुएला



समाचार? उत्तर-पश्चिमी वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया
वेनेजुएला के बारे में -

- अवस्थिति: दक्षिण अमेरिका का उत्तरी तट
- राजधानी: कराकास
- भौगोलिक सीमाएँ -
 - उत्तर: कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर
 - पूर्व: गुयाना
 - दक्षिण: ब्राज़ील
 - पश्चिम/दक्षिण-पश्चिम: कोलंबिया
- भौतिक विशेषताएँ
 - उत्तर में एंडीज पर्वत
 - ओरिनोको नदी बेसिन विशाल लानोस (मैदानों) के साथ
 - माराकाइबो झील - दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील
 - एंजेल फॉल्स - दुनिया का सबसे ऊँचा झरना
- प्रमुख नदियाँ
 - रियो नीग्रो (2,250 किमी) - अमेज़न की सहायक नदी; कोलंबिया और ब्राज़ील के साथ साझा
 - ओरिनोको नदी (2,101 किमी) - दक्षिण अमेरिका की तीसरी सबसे लंबी नदी
- द्वीप और द्वीपसमूह (कैरेबियाई): मार्गारिता द्वीप, ला ब्लैंकिला, ला टोर्टुगा, लॉस रोक्स, लॉस मोनजेस
- प्राकृतिक संसाधन: दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार
 - मेने ग्रांडे, माराकाइबो झील के पूर्वी तट पर स्थित है, जो देश के तेल उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

स्रोत: [द हिंदू](#)

मुख्य परीक्षा

पूर्वोत्तर राज्यों की निर्यात क्षमता

संदर्भ

आसियान देशों, चीन और बांग्लादेश के साथ 5,400 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने के बावजूद, पूर्वोत्तर क्षेत्र(NER) भारत के राष्ट्रीय निर्यात में केवल 0.13% का योगदान देता है।

भारत में निर्यात संकेन्द्रण और स्थानिक असंतुलन -

- उच्च क्षेत्रीय सांद्रता:
 - चार राज्य - गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक - निर्यात में 70% से अधिक का योगदान करते हैं।
 - अकेले गुजरात बंदरगाहों और औद्योगिक समूहों का लाभ उठाते हुए 33% से अधिक का योगदान देता है।
- पूर्वोत्तर हाशिये पर: 5,400 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले 8 राज्य निर्यात में केवल 0.13% का योगदान करते हैं।
 - कोई कार्यात्मक व्यापार गलियारा नहीं, कमजोर लॉजिस्टिक्स, तथा निर्यात नीति निकायों में न्यूनतम प्रतिनिधित्व।
- उपेक्षित हृदय प्रदेश: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, बड़ी आबादी और कृषि क्षमता के बावजूद, निर्यात में केवल ~5% का योगदान करते हैं।
- संरचनात्मक कमजोरी: कुछ तटीय क्षेत्रों पर अत्यधिक निर्भरता भारत की व्यापार पाइपलाइन को कमजोर बना देती है - गुजरात या तमिलनाडु में व्यवधान निर्यात को पंगु बना सकता है।

नीति में पूर्वोत्तर की उपेक्षा -

- व्यापार की बजाय सुरक्षा पर जोर: इस क्षेत्र में शासन में वाणिज्य और संपर्क की बजाय आतंकवाद विरोधी और निगरानी का बोलबाला है।
- नीतिगत अंध क्षेत्र: निर्यात से जुड़ी योजनाएं जैसे PLI, RoDTEP मुख्य रूप से पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्रों में क्रियान्वित की गईं।
 - डीजीएफटी की 2024 निर्यात योजना (87 पृष्ठ) में पूर्वोत्तर गलियारों का कोई उल्लेख नहीं किया गया।
- कमजोर संस्थागत प्रतिनिधित्व: प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद या व्यापार बोर्ड में पूर्वोत्तर क्षेत्र का कोई सदस्य नहीं है।
- सीमा व्यापार पतन: 2021 के बाद म्यांमार तख्तापलट और मुक्त आवागमन व्यवस्था (2024) को समाप्त करने के बाद, मोरेह (मणिपुर) और ज़ोखावथर (मिज़ोरम) जैसी व्यापारिक चौकियाँ नाममात्र की चौकियों में सिमट गई हैं।
- बुनियादी ढांचे की कमी: खराब राजमार्ग, शीत भंडारण, भंडारण और सीमा शुल्क सुविधाओं की कमी निर्यात वृद्धि को अवरुद्ध करती है।

निर्यात बढ़ाने में पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्षमता -

- सामरिक भूगोल:
 - बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और चीन के साथ इसकी सीमाएँ लगती हैं।
 - एकट ईस्ट नीति के तहत आसियान बाजारों के लिए एक सेतु के रूप में काम कर सकता है।
- कृषि एवं बागान उत्पाद:

- असम की चाय (भारत के उत्पादन का आधे से अधिक), सिक्किम के मसाले, मेघालय की अदरक, बागवानी उत्पाद (अनानास, कीवी, संतरा) जिनकी निर्यात क्षमता है।
- **ऊर्जा एवं प्राकृतिक संसाधन:**
 - असम और अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस।
 - पड़ोसी देशों को जलविद्युत ऊर्जा निर्यात की संभावना।
- **हथकरघा और हस्तशिल्प:**
 - अद्वितीय शिल्प, बांस आधारित उत्पाद और रेशम उत्पादन (मुगा रेशम) विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का दोहन कर सकते हैं।
- **पर्यटन एवं सेवा निर्यात:**
 - पूर्वोत्तर क्षेत्र में पारिस्थितिकी पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन व्यापारिक निर्यात को पूरक बना सकते हैं।

निर्यात में पूर्वोत्तर के समक्ष चुनौतियाँ -

- **बुनियादी ढांचे की कमी:** खराब सड़कें, सीमित रेल संपर्क, अपर्याप्त गोदाम और कोल्ड चेन की कमी।
- **सीमा अस्थिरता:** म्यांमार राजनीतिक संकट, सीमा तनाव और उग्रवाद गलियारा परियोजनाओं को कमजोर कर रहे हैं।
- **नीतिगत उपेक्षा:** निर्यात रणनीतियों में NER की क्षमता की अनदेखी की गई है; कोई समर्पित प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।
- **बाजार पहुंच संबंधी मुद्दे:** ब्रांडिंग और पैकेजिंग सुविधाओं का अभाव (उदाहरण के लिए, असम चाय थोक सीटीसी ग्रेड की बनी हुई है)।
- **कुछ उत्पादों पर निर्भरता:** विविधीकरण के बिना चाय और कच्चे तेल पर भारी निर्भरता।
- **चीन और आसियान से प्रतिस्पर्धा:** म्यांमार में चीन की तीव्र अवसंरचना पहुंच ने भारत को पीछे छोड़ दिया है।

आगे की राह -

- **पूर्वोत्तर के लिए समर्पित निर्यात रणनीति:** उत्पाद और गलियारे पर ध्यान केंद्रित करते हुए डीजीएफटी के तहत पूर्वोत्तर निर्यात संवर्धन नीति बनाना।
- **कनेक्टिविटी को मजबूत करना:** भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग, कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट परियोजना और सीमा हाटों को तीव्र गति से आगे बढ़ाना।
 - लॉजिस्टिक्स हब, आईसीडी (अंतर्देशीय कंटेनर डिपो) और कोल्ड-चेन अवसंरचना में सुधार करना।
- **संस्थागत प्रतिनिधित्व:** व्यापार बोर्ड, पीएम-ईएसी और निर्यात परिषदों में NER की आवाज सुनिश्चित करना।
- **मूल्य संवर्धन और ब्रांडिंग:** चाय ब्रांडिंग, मसाला प्रसंस्करण और NER उत्पादों के लिए जैविक प्रमाणीकरण में निवेश करना।
- **सीमा पार सहयोग:** क्षेत्रीय एफटीए के माध्यम से बाजार पहुंच के लिए आसियान, बांग्लादेश और भूटान के साथ बातचीत करना।
- **स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना:** निर्यात मूल्य श्रृंखलाओं में किसानों, कारीगरों और महिला उद्यमियों को शामिल करने के लिए कौशल विकास और सहकारी मॉडल।
- **व्यापार के साथ सुरक्षा को संतुलित करना:** स्थिरता सुनिश्चित करते हुए शासन को उग्रवाद विरोधी मानसिकता से व्यापार सुविधा की ओर स्थानांतरित करना।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय राज्यों पर बढ़ता कर्ज

संदर्भ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति पर एक अनूठा दस-वर्षीय विश्लेषण (2013-14 से 2022-23) प्रकाशित किया है, जिसमें सार्वजनिक ऋण में उल्लेखनीय वृद्धि और राजकोषीय स्थिरता बनाए रखने के लिए इससे उत्पन्न चुनौतियों का खुलासा किया गया है।

राज्य ऋण की वर्तमान स्थिति -

- **कुल ऋण:** 2013-14 में ₹17.57 लाख करोड़ → 2022-23 में ₹59.6 लाख करोड़ (3.39 गुना वृद्धि)।
- **ऋण-जीएसडीपी अनुपात:**
 - 2013-14: जीएसडीपी का 16.66%
 - 2022-23: जीएसडीपी का 22.96%
 - राष्ट्रीय जीडीपी हिस्सेदारी: राज्यों का संयुक्त ऋण = भारत के जीडीपी का 22.17% (2022-23 में ₹2,68,90,473 करोड़)।
- **अंतर-राज्यीय भिन्नता:**
 - **उच्चतम अनुपात:** पंजाब (40.35%), नागालैंड (37.15%), पश्चिम बंगाल (33.70%)।
 - **न्यूनतम अनुपात:** ओडिशा (8.45%), महाराष्ट्र (14.64%), गुजरात (16.37%)।
 - 8 राज्य जीएसडीपी का 30% से अधिक, 14 राज्य 20-30% के बीच, तथा 6 राज्य 20% से कम।
- **ऋण बनाम राजस्व प्राप्ति:** पिछले दशक में, राज्य का ऋण वार्षिक राजस्व प्राप्ति का औसतन 150% रहा है।
 - 128% (2014-15) → 191% (2020-21)।
- **स्वर्णिम नियम का उल्लंघन:** ऋण से पूंजीगत व्यय (परिसंपत्तियां, बुनियादी ढांचा) का वित्तपोषण होना चाहिए, न कि राजस्व व्यय (वेतन, सब्सिडी) का।
 - 11 राज्यों (आंध्र प्रदेश, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, तमिलनाडु सहित) ने दिन-प्रतिदिन के खर्चों के लिए ऋण लिया।
 - पंजाब और आंध्र प्रदेश: शुद्ध ऋण का केवल 26% और 17% पूंजीगत व्यय में गया।
 - हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश: पूंजीगत व्यय के लिए ~50%।

राज्य का ऋण क्यों बढ़ रहा है?

- **कोविड-पश्चात व्यय:** स्वास्थ्य, कल्याण और प्रोत्साहन उपायों से राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि हुई।
 - 2020-21 में जीएसडीपी संकुचन से ऋण अनुपात बढ़ा।
- **जीएसटी क्षतिपूर्ति निर्भरता:** जीएसटी क्षतिपूर्ति की समाप्ति (2022) से राजस्व स्थिति खराब हो गई।
 - केंद्र ने क्षतिपूर्ति की कमी (2020-22) के लिए लगातार ऋण प्रदान किए, जिससे देनदारियां बढ़ गईं।
- **सब्सिडी का बोझ और मुफ्त सुविधाएं:** बिजली सब्सिडी, कृषि ऋण माफी और सामाजिक मुफ्त सुविधाओं पर बढ़ते व्यय से राज्यों की वित्तीय स्थिति पर दबाव पड़ता है (पंजाब, राजस्थान, आंध्र प्रदेश)।

Sources of State Debt



Loans raised from open market (bonds, securities, treasury bills)



Borrowings from banks (SBI, others)



Ways and Means Advances (WMA) from RBI



Loans from financial institutions like LIC, NABARD

- **ब्याज भुगतान:** ऋण सेवा पर व्यय होने वाले राजस्व का बढ़ता हिस्सा पूंजीगत व्यय को पीछे छोड़ देता है।
- **चालू व्यय के लिए उधार लेना:** "स्वर्णिम नियम" का उल्लंघन: ऋण से पूंजीगत परियोजनाओं का वित्तपोषण होना चाहिए, न कि राजस्व व्यय का।
- **कमजोर स्वयं कर राजस्व:** केन्द्र से प्राप्त धन पर निर्भरता, गरीब राज्यों (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड) में कम कर उछाला।
- **लोकलुभावन राजनीतिक दबाव:** प्रतिस्पर्धी राजनीति के कारण कई राज्यों में राजकोषीय अविवेक पैदा हो गया है।

बढ़ते कर्ज के निहितार्थ -

- **राजकोषीय तनाव:** उच्च ऋण-सेवा लागत उत्पादक निवेश के लिए राजकोषीय स्थान को कम कर देती है।
- **पूंजीगत व्यय को बाहर करना:** चालू व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेने से विकास पर गुणक प्रभाव कम हो जाता है।
- **वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम:** लगातार राजकोषीय घाटा और बढ़ता कर्ज बांड प्रतिफल को बढ़ा सकता है और वित्तीय प्रणाली पर दबाव डाल सकता है।
- **केंद्र-राज्य तनाव:** केंद्रीय ऋण (जीएसटी मुआवजा, विशेष सहायता) पर अत्यधिक निर्भरता राजकोषीय संघवाद पर सवाल उठाती है।
- **वृहद आर्थिक प्रभाव:** राज्य ऋण भारत के सामान्य सरकारी ऋण का लगभग 30% है, जो संप्रभु क्रेडिट रेटिंग को प्रभावित करता है।
- **अंतर-पीढ़ीगत बोझ:** बढ़ती देनदारियों को बिना किसी परिसंपत्ति सृजन के भविष्य के करदाताओं पर डाल दिया जाता है।
- **मानव विकास पर कम व्यय:** सीमित राजकोषीय व्यवस्था के कारण शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवंटन में कटौती हो सकती है।
- **शासन जोखिम:** ऑफ-बजट वित्तपोषण और अपारदर्शी गारंटी जवाबदेही को कम करती है।

आगे की राह -

- **राजकोषीय विवेक का पालन करना:** राजकोषीय घाटे की सीमा लागू करना; ऋण स्थिरता को उधार लेने का मार्गदर्शन करना चाहिए।
- **स्वर्णिम नियम का अनुपालन:** सुनिश्चित करना कि उधार का उपयोग केवल पूंजीगत व्यय और परिसंपत्ति निर्माण के लिए किया जाए।
- **राजस्व संग्रहण को बढ़ावा देना:** जीएसटी संग्रह को मजबूत करना, संपत्ति कर आधार का विस्तार करना, राज्य कर प्रशासन की दक्षता में सुधार करना।
- **व्यय का युक्तिकरण:** सब्सिडी को युक्तिसंगत बनाना और लोकलुभावन योजनाओं पर नियंत्रण। लीकेज कम करने के लिए डीबीटी और आधार का उपयोग करके लक्षित कल्याणकारी व्यय।
- **संस्थागत निगरानी को मजबूत करना:** केंद्र और राज्य दोनों के वित्त की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र राजकोषीय परिषद की स्थापना करना।
- **केंद्र-राज्य समन्वय को बढ़ाना:** जीएसटी, क्षतिपूर्ति तंत्र और उधार सीमा पर बेहतर संरेखण।
- **क्षमता निर्माण:** ऋण प्रबंधन, जोखिम विश्लेषण और नवीन वित्तपोषण के लिए राज्य वित्त विभागों को प्रशिक्षित करना।
- **वित्तपोषण स्रोतों में विविधता लाना:** नगरपालिका बांड, राज्य विकास ऋण, पीपीपी मॉडल और वैश्विक जलवायु निधियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

- राज्य ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ (डीएमसी) की स्थापना करना: उधार लेने की रणनीति को पेशेवर बनाना, अवधि मिलान करना और पुनर्वित्त जोखिम को न्यूनतम करना (15वें वित्त आयोग का सुझाव)।
- स्वयं के राजस्व संग्रहण को सुदृढ़ करना: कर आधार को व्यापक बनाना (संपत्ति कर, उपयोगकर्ता-शुल्क, स्थानीय राजस्व में सुधार करना); कर प्रशासन को डिजिटल बनाना; परिणाम-आधारित बजट अपनाना।

सर्वोत्तम अभ्यास राज्य -**ओडिशा**

- 2000 के दशक के प्रारंभ में उच्च ऋण वाले राज्य से सर्वाधिक वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण राज्यों में से एक में परिवर्तित हो गया।
- एफआरबीएम मानदंडों का सख्ती से पालन किया गया, राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3% से नीचे रखा गया।
- कुशल ऋण पुनर्गठन और पूंजीगत व्यय पर ध्यान केंद्रित करना।
- बड़े पैमाने पर नकदी अधिशेष का निर्माण किया गया और लोकलुभावन मुफ्त उपहारों से बचा गया।
- **परिणाम: 2022-23 में ऋण-जीएसडीपी अनुपात केवल 8.45%, जो भारतीय राज्यों में सबसे कम है।**

गुजरात

- राजकोषीय अनुशासन और विवेकपूर्ण उधारी के लिए जाना जाता है।
- ऋण-जीएसडीपी 16.37%, जो राष्ट्रीय औसत से काफी कम है।
- दीर्घकालिक आर्थिक लाभ के साथ बुनियादी ढांचे में निवेश (सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे) पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- मजबूत औद्योगिक आधार और वैट/जीएसटी संग्रह से उच्च कर उछाल बेहतर राजस्व संग्रहण सुनिश्चित करता है।

स्रोत: [इंडियन एक्सप्रेस](#)

भारत का चाय क्षेत्र - अवसर और चुनौतियाँ

संदर्भ

भारत चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। रणनीतिक सुधारों के साथ, भारत वैश्विक चाय उद्योग में एक महाशक्ति के रूप में उभरने की क्षमता रखता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर दोनों मजबूत होंगे।

भारत का चाय उद्योग: प्रमुख आँकड़े -

- वैश्विक चाय उत्पादन (2024): 7.074 बिलियन किलोग्राम।
 - शीर्ष उत्पादक देश: (1) चीन (2) भारत (3) केन्या (4) श्रीलंका
- वैश्विक खपत: 6.97 बिलियन किग्रा.
- भारत का योगदान (2024):
 - उत्पादन: 1.303 बिलियन किग्रा (वैश्विक उत्पादन का $\approx 18\%$).
 - खपत: 1.22 बिलियन किलोग्राम (वैश्विक मांग का $\approx 17\%$).
 - निर्यात: 255 मिलियन किलोग्राम, जिसका मूल्य 800 मिलियन डॉलर है।
 - शीर्ष चाय उत्पादक राज्य: (1) असम (2) पश्चिम बंगाल (3) तमिलनाडु (4) केरल (5) कर्नाटक
 - अन्य चाय उत्पादक राज्य: त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड।
- तुलना:
 - केन्या: सबसे बड़ा निर्यातक, अपना लगभग सारा उत्पादन निर्यात करता है।
 - चीन: प्रमुख उत्पादक, लेकिन घरेलू स्तर पर अधिक खपत करता है।
 - श्रीलंका: 245 मिलियन किलोग्राम निर्यात किया गया, जिसका मूल्य 1.4 बिलियन डॉलर था - जो भारत की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्ति को दर्शाता है।
- प्रति व्यक्ति उपभोग:
 - भारत: 840 ग्राम/वर्ष.
 - तुर्की: 3 किग्रा/वर्ष (विश्व स्तर पर उच्चतम)।
 - भारत में 1 किलोग्राम प्रति वर्ष की मामूली वृद्धि भी सम्पूर्ण घरेलू उत्पादन को समाहित कर सकती है।

चाय उद्योग में महाशक्ति के रूप में भारत की क्षमता -

- उत्पादन पैमाना: भारत में चाय उत्पादन के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, जिसमें असम, दार्जिलिंग, नीलगिरी और कांगड़ा जैसे मजबूत पारंपरिक केंद्र हैं।
- बड़ा घरेलू बाजार: बढ़ता मध्यम वर्ग और प्रीमियम चाय के लिए उपभोक्ता की बदलती प्राथमिकताएं।
- निर्यात अवसर: दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और मध्य एशिया में विस्तार की संभावना।
- ब्रांड वैल्यू: "दार्जिलिंग चाय" (भारत का पहला जीआई टैग), असम और नीलगिरी चाय की प्रतिष्ठित वैश्विक मान्यता।
- रोजगार और आजीविका: 1.2 मिलियन से अधिक श्रमिकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं।
- सॉफ्ट पावर: चाय कूटनीति (जैसे, "चाय पर चर्चा") विदेशों में भारत के सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ा सकती है।

चाय क्षेत्र में चुनौतियाँ -

- **कम निर्यात मूल्य प्राप्ति:** भारत श्रीलंका की तुलना में अधिक मात्रा में निर्यात करता है, लेकिन ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन की कमी के कारण कम आय अर्जित करता है।
- **थोक सीटीसी चाय पर अत्यधिक निर्भरता:** उच्च मूल्य वाली विशेष चाय (हरी, सफेद, जैविक, सुगंधित) पर सीमित ध्यान।
- **उत्पादकता संबंधी मुद्दे:** पुरानी होती चाय की झाड़ियाँ, कम मशीनीकरण और पुरानी पद्धतियाँ पैदावार को कम करती हैं।
- **मूल्य स्थिरता और श्रम लागत:** छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) को कम मुनाफ़े का सामना करना पड़ता है। श्रम-प्रधान उत्पादन से लागत बढ़ जाती है।
- **जलवायु परिवर्तन:** अनियमित वर्षा और बढ़ता तापमान, विशेष रूप से दार्जिलिंग और असम में, गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
- **बाजार प्रतिस्पर्धा:** केन्या सस्ती चाय उपलब्ध कराता है, जबकि श्रीलंका और चीन प्रीमियम चाय बाजार पर हावी हैं।
- **घरेलू उपभोग अंतराल:** वैश्विक मानकों की तुलना में प्रति व्यक्ति उपभोग अपेक्षाकृत कम बना हुआ है।

सरकारी पहल -

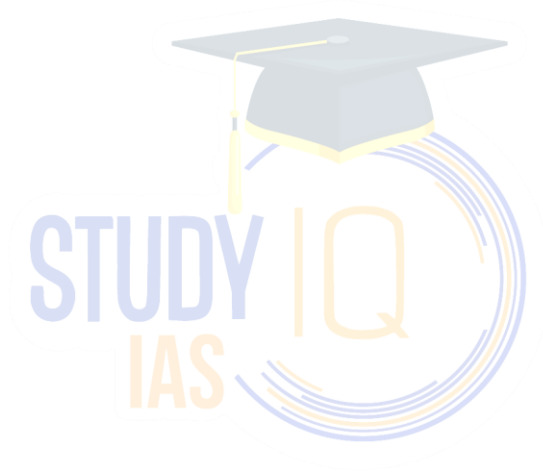
- **भारतीय चाय बोर्ड:** भारतीय चाय के विकास, गुणवत्ता प्रमाणन और संवर्धन की देखरेख करता है।
- **चाय विकास एवं संवर्धन योजना (2021-26):** चाय संवर्धन, बाजार पहुँच, उत्पादकता सुधार और श्रमिक कल्याण पर ध्यान केंद्रित। ₹967 करोड़ का बजट।
- **जीआई टैग और प्रमाणन:**
 - “दार्जिलिंग चाय” भारत का पहला जीआई टैग (2004) था।
 - प्रमाणन चिह्न जैसे “असम ऑर्थोडॉक्स” और “नीलगिरी चाय”।
- **बाजार विविधीकरण प्रयास:** पश्चिम एशिया, सीआईएस देशों और यूरोप में भारतीय चाय का प्रचार।
- **श्रमिक कल्याण उपाय:** बागान श्रमिकों के लिए आवास, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की योजनाएं।

आगे की राह -

- **गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर ध्यान केंद्रित करना:**
 - थोक निर्यात से मूल्यवर्धित, ब्रांडेड और विशेष चाय की ओर बदलाव।
 - जैविक, हर्बल और स्वादयुक्त चाय जैसे प्रीमियम खंडों को प्रोत्साहित करना।
- **निर्यात बाजारों में विविधता लाना:** अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और पूर्वी एशिया में उभरते उपभोक्ता आधारों को लक्ष्य बनाना।
- **घरेलू खपत को बढ़ावा देना:** प्रति व्यक्ति खपत को 1 किलोग्राम/वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए भारत में चाय संस्कृति को बढ़ावा देना।
- **छोटे चाय उत्पादकों (एसटीजी) को समर्थन प्रदान करना:** प्रशिक्षण, वित्त तक पहुंच और ब्रांडिंग के लिए समर्थन प्रदान करना।
- **जलवायु अनुकूलन:** जलवायु-अनुकूल चाय किस्मों में निवेश करना और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना।
- **अनुसंधान एवं नवाचार:** चाय प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मशीनीकरण में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना।
- **वैश्विक छवि को मजबूत करना:** मजबूत जीआई-आधारित ब्रांडिंग के साथ भारत को एक प्रीमियम चाय निर्यातक के रूप में स्थापित करना।

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी:** विपणन अभियानों, चाय पर्यटन और वैश्विक व्यापार मेलों के लिए उद्योग जगत के खिलाड़ियों के साथ सहयोग करना।

स्रोत: [द हिंदू](#)



लद्दाख राज्य के दर्जे के लिए विरोध प्रदर्शन

संदर्भ

हाल ही में, लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चल रहा विरोध हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए।

विरोध प्रदर्शनों के पीछे के कारण -

- **राजनीतिक स्वायत्तता का नुकसान (2019 के बाद):**
 - जम्मू-कश्मीर के विपरीत लद्दाख बिना विधानमंडल वाला केंद्र शासित प्रदेश बन गया।
 - पहाड़ी विकास परिषदों जैसी निर्वाचित संस्थाओं की शक्तियां कम कर दी गईं।
- **रोजगार संकट:**
 - जम्मू-कश्मीर से अलग होने के बाद लद्दाख की जेकेपीएससी और भर्ती बोर्डों तक पहुंच खत्म हो गई।
 - बढ़ती बेरोजगारी और समर्पित लोक सेवा आयोग का अभाव।
- **जनजातीय सुरक्षा उपायों की अनदेखी:**
 - लद्दाख की 90% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजाति की है।
 - छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा की बार-बार की गई मांगें पूरी नहीं हुई हैं।
- **पारिस्थितिकी और आजीविका संबंधी चिंताएँ:**
 - बड़े पैमाने पर खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण पश्मीना चरवाहों के विस्थापित होने और नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचने का डर।
 - पश्मीना बकरी पालन और कृषि जैसी पारंपरिक आजीविका में गिरावट।
- **सीमा एवं सुरक्षा चिंता:**
 - पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीनी गतिविधियों से स्थानीय लोगों में भूमि हानि की आशंका बढ़ गई है।
 - समुदाय सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास पर निर्णय लेने से वंचित महसूस करते हैं।

प्रमुख मांगें

- लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा।
- जनजातीय भूमि, संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए छठी अनुसूची के अंतर्गत समावेशना।
- नौकरियों और भर्ती के लिए लद्दाख लोक सेवा आयोग की स्थापना।
- लेह और कारगिल जिलों के लिए अलग लोकसभा सीटें।
- विधायी और वित्तीय शक्तियों के साथ पहाड़ी विकास परिषदों को मजबूत बनाना।

लद्दाख को छठी अनुसूची में शामिल करना

- लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
- छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का प्रावधान है।
- राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, लद्दाख की 97% आबादी आदिवासी है।
- छठी अनुसूची के अंतर्गत विशेष प्रावधान:
 - स्वायत्त जिला परिषदों का निर्माण, जिनके पास विधायी, न्यायिक और कार्यकारी शक्तियां होंगी।
 - जिला परिषदों को अपने-अपने परिषद के लिए बजट तैयार करने का अधिकार है।
 - परिषदें अपनी सभी शक्तियां और कार्य सीधे संविधान से प्राप्त करती हैं।
 - संसद या राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियम स्वायत्त जिलों और क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं, या वे कुछ परिवर्तनों और अपवादों के साथ लागू होते हैं।
- वर्तमान में 4 राज्यों में छठी अनुसूची क्षेत्र हैं: असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा।

लद्दाख को राज्य का दर्जा प्रदान करना

पक्ष	विपक्ष
● राजनीतिक सशक्तिकरण: लोकतांत्रिक शासन को बहाल करना, अलगाव को कम करना। ● उत्तरदायी प्रशासन: राज्य का दर्जा जमीनी हकीकत के करीब स्थानीय निर्णय लेने को सुनिश्चित करता है। ● संघवाद की सुरक्षा: क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संबोधित करके भारत की लोकतांत्रिक छवि को मजबूत करता है। ● संतुलित विकास: लद्दाख की नाजुक पारिस्थितिकी और जनजातीय आबादी के लिए अनुकूलित नीतियां बनाने की अनुमति देता है।	● सामरिक संवेदनशीलता: पूर्ण राज्य का दर्जा चीन और पाकिस्तान की सीमाओं वाले क्षेत्र में <u>रक्षा और सीमा प्रबंधन को जटिल बना सकता है।</u> ● प्रशासनिक व्यवहार्यता: छोटी जनसंख्या (लगभग 3 लाख) राज्य का दर्जा देने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती; वित्तीय स्थिरता संदिग्ध है। ● मिसाल कायम करना: अन्य संघ शासित प्रदेशों (अंडमान, लक्षद्वीप) से भी इसी तरह की मांग उठ सकती है। ● केंद्र-राज्य तनाव: राज्य का दर्जा एक संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र पर केंद्र के प्रत्यक्ष नियंत्रण को कमजोर कर सकता है।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम -

- लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ संरचित वार्ता में शामिल होने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (एचपीसी) का गठन किया जाएगा।

- संशोधित आरक्षण नियमों के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति कोटा बढ़ाया गया: सीधी भर्ती में 80% और पदोन्नति में 84%।
- हिल काउंसिल (एलएचडीसी) में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण को अपनाया गया।
- भोटी और पुर्गी को लद्दाख की आधिकारिक भाषाओं में घोषित किया गया।
- स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाने के लिए लगभग 1,800 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई।
- संघ शासित प्रदेश में नई अधिवास और आरक्षण नीति के तहत स्थानीय नौकरी कोटा (85%) लागू किया गया।

आगे की राह -

- **संरचित संवाद:** केंद्र, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के बीच समयबद्ध रोडमैप के साथ बातचीत फिर से शुरू करना।
- **संवैधानिक सुरक्षा उपाय:**
 - भूमि, संस्कृति और संसाधनों के लिए छठी अनुसूची या इसी प्रकार के संरक्षण पर विचार करना।
 - वास्तविक प्राधिकार के साथ पहाड़ी विकास परिषदों को मजबूत बनाना।
- **संतुलित स्वायत्तता मॉडल:**
 - पूर्ण राज्य के बजाय, पुडुचेरी जैसी विधायिका वाले केंद्र शासित प्रदेश की संभावना तलाशना।
 - नौकरियों के संकट को हल करने के लिए लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए।
- **पारिस्थितिकी और आजीविका संरक्षण:**
 - अंधाधुंध खनन पर प्रतिबंध लगाना; पर्यावरण अनुकूल उद्योगों और टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देना।
 - पश्मीना पशुपालन जैसी पारंपरिक आजीविका को समर्थन प्रदान करना।
- **सीमा-संवेदनशील विकास:**
 - स्थानीय भागीदारी के साथ बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और कनेक्टिविटी में निवेश करना।
 - सुनिश्चित करना कि नागरिक-सैन्य समन्वय में स्थानीय संवेदनशीलता का सम्मान किया जाए।
- **विश्वास निर्माण के उपाय:** युवाओं और नागरिक समाज के लिए परामर्श मंच बनाना।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू